RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-02
February-2018
ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का विवादास्पद मुद्दा: समस्याएं तथा समाधान

पंकज लखेरा
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

दक्षिण एशिया के दो प्रमुख देशों अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा सदा से एक विवाद का मुद्दा रहा है। जहां एक ओर भारत कश्मीर को पूरी तरीके से अपना मानता है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की बात करता है वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को यह स्वीकार्य नहीं है और वह भारत से कश्मीर राज्य को अलग कराना चाहता है। इस मुद्दे को लेकर दोनों देश तीन युद्ध लड़ चुके हैं तथा प्रतिदिन आतंकवाद तथा अन्य मुद्दों का सामना करते हैं। यहां प्रश्न यह है कि यदि भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर दावा करता है तो यह कहां तक उचित है। क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेना संभव है तथा अगर संभव है तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं? अंततः पूरे दक्षिण एशिया में शांति तथा सुव्यवस्था को स्थापित करने के क्या माध्यम हो सकते हैं।

वस्तुतः कश्मीर का मुद्दा दक्षिण एशिया के इन दोनों प्रमुख देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। दोनों ही देश इस क्षेत्र में अपने दावे को छोड़ना नहीं चाहते।

वर्तमान में कश्मीर का पूरा क्षेत्र तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है, संपूर्ण कश्मीर का दो तिहाई हिस्सा भारत के पास है। इसका एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के पास है और थोड़ा सा हिस्सा चीन के पास है जो 1961 में पाकिस्तान ने चीन को उपहार के रूप में दिया था। (रिजवान, 2016)

यहां पर हमारा सरोकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का कुल क्षेत्रफल 13297 किलोमीटर है। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। पाकिस्तान की सरकार इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर के नाम से पुकारती है। संयुक्त राष्ट्र संघ से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की संज्ञा देता है जबकि भारत इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान तथा चीन इसके पड़ोसी देश है। इस क्षेत्र में अंग्रेज सरकार का कभी भी सीधा कब्जा नहीं रहा बल्कि यह क्षेत्र एक राजतंत्र रहा है। 1963 में इसके सबसे उत्तर वाले हिस्से को पाकिस्तान ने चीन को उपहार में दे दिया था। (रिजवान, 2016)

कश्मीर समस्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कश्मीर की समस्या को समझने के लिए इतिहास में जाना आवश्यक है। भारतीय स्वतंत्रता के समय तत्कालीन भारत में 562 देशी रियासतें थी। अंग्रेज सरकार ने इन सभी देसी रियासतों को स्वतंत्रता दी कि चाहे वह भारत में मिल जाए, या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए अथवा पूर्णता स्वतंत्र रहें। इन्हीं राज्यों में से एक राज्य कश्मीर का था जिसके राजा महाराजा हरि सिंह थे। महाराजा हरि सिंह एक ऐसे राज्य के शासक थे जिसकी प्रजा मूल रूप से मुस्लिम थी। वैसे हरिसिंह चाहते थे कि कश्मीर का भारत में विलय हो पाए पर वह ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ऐसा नहीं चाहते थे। अंततः उन्होंने कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखने का निर्णय लिया। जूनागढ़ के अधिग्रहण के बाद सरदार पटेल कश्मीर को भी अधिकृत करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच कश्मीर पर 12000 पठान कबायली ओं ने हमला कर दिया। अक्टूबर 1947 में वे कश्मीर के अंदर घुस आए और उन्होंने लूटमार तथा हत्या का क्रम शुरू कर दिया। इस आक्रमण को जिहाद अर्थात धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई। जब कबायली श्रीनगर पहुंचने वाले हुए तो महाराजा हरि सिंह ने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखा कि भारत उनकी सहायता के लिए आगे आए। सरदार पटेल ने राजा हरि सिंह के समक्ष 2 शर्तें रखी। या तो वे बिना शर्त भारतीय संघ में मिल जाए अथवा स्वयं अपने बल पर हमला मरो का मुकाबला करें। महाराजा हरि सिंह ने बिना किसी शर्त के भारतीय संघ में आने का निर्णय लिया। उसी समय से कश्मीर भारत का कानूनी रूप से अभिन्न अंग बन गया। भारत ने अपनी सेनाएं भेजी तथा श्रीनगर और पुंछ को हमलावरों से मुक्त करा लिया। परंतु तब तक पाकिस्तान सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र वाले कश्मीर में एक सरकार की स्थापना कर दी और उस क्षेत्र को आजाद कश्मीर घोषित कर दिया। पाकिस्तान ने कबायली ओं का समर्थन भी किया।

इस नाजुक मौके पर भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से एक रणनीतिक भूल हो गई। कश्मीर मुद्दे को लेकर वह संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद में पहुंच गए और सुरक्षा परिषद ने तुरंत युद्ध विराम का आदेश दिया। इस आदेश के परिणाम स्वरूप पंडित नेहरू को भारतीय सेनाओं को तुरंत रोकने का आदेश देना पड़ा और कश्मीर का बचा कुचा हिस्सा भारत के अधिकार में नहीं आ पाया। कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा आज भी पाकिस्तान में है जिसे भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है। 1972 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा जो कश्मीर में थी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल की संज्ञा दी गई। (सिंह, 2016)

हमें यह ध्यान रखना होगा कि 26 अक्टूबर आज भी कश्मीर राज्य में एक सरकारी त्योहार के रूप में मनाया जाता है जिस दिन सरकारी छुट्टी होती है। सन 1947 में इसी दिन जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ था तो वहां के लोगों ने इसका स्वागत भारतीय झंडा फहरा कर पटाखे चलाकर तथा भारतीय राष्ट्रगान गाकर किया था। अतः विलय के समय कश्मीर की जनता पूरी तरह भारत के साथ थी। (Staff, 2016)

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा भारत

पिछले कुछ दिनों में विभिन्न समाचार पत्रों ने यह रिपोर्ट दी है कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रशासन के तरीके से प्रभावित होकर बहुत से लोग जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहते हैं यह चाहते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत में आ जाए। यह सभी लोग भारतीय सरकार के कश्मीर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से अत्यंत खुश हैं। 2014 की बाढ़ के समय तथा 2015 के भूकंप के समय जिस प्रकार भारतीय सरकार ने कश्मीरियों की सहायता की उसकी स

राहना पूरे विश्व ने की। अंजुमन ए रसूल के अध्यक्ष मौलाना सैयद अतहर हुसैन देह लवी के अनुसार, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। इसकी अनुभूति उन्हें तब हुई जब वे हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर गए थे। मौलाना देहलवी के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग आतंकवाद से त्रस्त हैं और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अगर वहां जनमत संग्रह कराया जाए तो वह लोग भारत में आने के पक्ष में अपना मत देंगे। वे लोग प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन के तरीके से अत्यधिक प्रभावित हैं और लगातार पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि पाकिस्तान मीडिया ने भी की है। 7 सितंबर 2014 को जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए तो वहां के लोगों ने उन का पुरजोर विरोध किया और उनके विरोध में नारे लगाए। इसी बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वहां के लोगों को हर संभव सहायता देने का आवाहन किया। (ज़ी न्यूज़, 2016)

भारत की विदेश मंत्री सुश्री सुषमा स्वराज ने उस समय पाकिस्तान की कड़ी भर्त्सना की जब वहां की सरकार ने गिलगित बालटिस्तान को पाकिस्तान का पांचवा राज्य घोषित कर दिया। इसका कारण यह था कि कानूनी रूप से कश्मीर का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है। इसी तरह जब चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सीपीईसी अर्थात चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण किया तो भी भारत ने उसकी कड़ी आलोचना की। (द हितावदा, 2016)

कश्मीर के संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जनमत संग्रह का है। आलोचक इस बात को उद्धृत करते हैं कि जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो इस शर्त पर हुआ कि कबायली को खदेड़ने के बाद वहां पर जनमत संग्रह करवाया जाएगा कि कश्मीर के लोग भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं अथवा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। भारतीय सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने इस जनमत संग्रह को कभी कराने का प्रयास नहीं किया। लेकिन इस तरह का आरोप बेबुनियाद है। अगर जनमत संग्रह होना है तो पहले पाकिस्तान को अपने अधिकार वाले कश्मीर को छोड़ना होगा और फिर पूरे कश्मीर का एकीकरण करके तब वहां जनमत संग्रह कराना पड़ेगा। इस प्रकार यदि जनमत संग्रह नहीं हो पाया तो उसमें भारत का दोष नहीं है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कश्मीर अकेला राज्य नहीं है जिसमें भारत ने भारत में विलय होने का समझौता किया। इसी प्रकार के समझौते अन्य राज्यों ने भी किए थे और उन सब का कार्यान्वयन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की शर्तों के अनुसार किया गया। (बसु, 2001)

दूसरी ओर कश्मीर से हुए समझौते की भावना का आदर करते हुए भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और उसे पर्याप्त स्वायत्तता भी प्रदान की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, कश्मीर का समस्त इलाका जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी शामिल है भारतीय संघ का अभिन्न अंग है। संविधान की प्रथम अनुसूची में इसे भारत के 15 में प्रांत का दर्जा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर की वर्तमान विधानसभा में कुल 100 सीटें हैं जिनमें से 24 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए आरक्षित है। यह 24 सीटें आज भी खाली रखी जाती है। महाराजा हरि सिंह के साथ हुए समझौते में भारतीय सरकार को कश्मीर के तीन प्रमुख विषयों पर अधिकार दिया गया था जो थे रक्षा, दूरसंचार तथा विदेश नीति। यद्यपि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था पर अन्य राज्यों पर लागू होने वाले सारे प्रावधानों को कश्मीर पर लागू नहीं किया गया। इसका कारण यह भी था कि समझौते की भावना का आदर करते हुए भारतीय सरकार ने यह निर्णय लिया कि अंततः कश्मीर के लोग अपनी संविधान सभा द्वारा यह निर्धारित करेंगे कि उनका भविष्य का प्रशासन कैसा होना चाहिए। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए कश्मीर के लोगों ने एक संविधान सभा का चुनाव किया जिसकी पहली बैठक 31 अक्टूबर 1951 को हुई। (बसु, 2001)

इस संविधान सभा ने कश्मीर राज्य का प्रथम संविधान तैयार किया जो वर्तमान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत दिया गया है। फरवरी 1954 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा में कश्मीर के भारत में विलय को सहमति प्रदान कर दी। इस अधिनियम के लागू होने से भारतीय संविधान कश्मीर में पूरी तरीके से लागू हो गया। यह 1954 के अध्यादेश के रूप में था। इस आदेश की वजह से भारतीय संविधान के केंद्र सूची के समस्त विषयों पर केंद्र सरकार को कश्मीर के संदर्भ में निर्णय करने का अधिकार मिल गया। अब केंद्र सरकार की शक्ति मात्र तीन विषयों अर्थात सुरक्षा विदेश नीति तथा दूरसंचार तक सीमित नहीं रही। इस प्रकार भारत सरकार ने उन सभी प्रावधानों को लागू करने का प्रयास किया जो कश्मीर के भारत में विलय के समय निर्धारित किए गए थे। (बसु, 2001)

उपरोक्त कानूनी स्थिति के अतिरिक्त, जो बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भारतीय रुख को बल प्रदान करती है वह है भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सदियों से एक समन्वय वादी संस्कृति का अनुसरण करता आया है।भारतीय संविधान लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का समर्थन करता है। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की संज्ञा देती है। संविधान के तृतीय भाग में मूल अधिकारों तथा समानता स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है जो सभी धर्म संप्रदाय तथा मतों को बराबरी का दर्जा तथा अधिकार प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता जो स्वतंत्रता संग्रामी रहे थे वे धर्मनिरपेक्षता के आदर्श में विश्वास रखते थे। वे दो राष्ट्रों के सिद्धांत के घोर विरोधी थे जिसका प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना तथा उनकी मुस्लिम लीग पार्टी ने किया था। यही कारण है कि आज भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान रह रहे हैं। हमें इस

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

बात का गर्व है कि भारत की कुल मुस्लिम आबादी पाकिस्तान तथा इंडोनेशिया जैसे देशों की आबादी से भी अधिक है। सदियों से भारत की संस्कृति एक समन्वय वादी संस्कृति रही है। भारतीय संस्कृति अपने आप में दूसरी संस्कृतियों को समाहित करने की क्षमता रखती है। विभिन्न प्रकार के लोग भारत में सदियों से साथ साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। ऐसा उदाहरण विश्व के किसी अन्य देश में दुर्लभ है। विभिन्न समुदायों के धर्म तथा भाषा में अंतर हो सकता है परंतु फिर भी सांस्कृतिक समानता दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि इस देश का मुसलमान सांस्कृतिक रूप से यहां के हिंदू के अधिक निकट है। अगर उसी को पश्चिम या मद्धेशिया भेज दिया जाए जो मुस्लिम बहुमत क्षेत्र हैं तो वहां वह स्वयं को पूर्णतया विदेशी महसूस करेगा। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय हो जाए तो उन्हें भारतीय समाज में समाहित होने में कोई बाधा नहीं आएगी।

भारत का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर दावा इस बात से भी मजबूत होता है कि भारतीय कश्मीर की स्थिति पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कहीं अधिक अच्छी है। चाहे आर्थिक स्थिति हो अथवा व्यक्तिगत अधिकार, चाहे मानव अधिकार हो या धार्मिक सहिष्णुता हर लिहाज से भारतीय कश्मीर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कहीं अधिक अच्छा है।

अगर हम पाकिस्तान मीडिया की माने तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग वहां की सेना के अत्याचारों से तंग आ गए हैं। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान सरकार इन लोगों की अनदेखी कर रही है। बजाएं कि इस क्षेत्र का विकास करने के पाकिस्तान सेना तथा सरकार यहां पर आतंकवादी शिविर चला रही है। दूसरी ओर भारतीय कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू तथा कश्मीर को भारत के किसी अन्य राज्य से कहीं अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 370 द्वारा कश्मीर राज्य की जनसांख्यिकी को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास भी किया गया है। कश्मीर में भारत के किसी भी अन्य राज्य का व्यक्ति स्थाई रूप से नहीं रह सकता। उन्हें वहां सरकारी नौकरी भी नहीं प्राप्त हो सकती। कश्मीर के विकास के लिए भारतीय सरकार ने पिछले 7 दशकों में बहुत बड़े पैमाने पर धन व्यय किया है। वर्तमान स्थिति में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 10% अकेले कश्मीर राज्य पर खर्च किया जाता है। पिछले दशकों में हर सरकार ने चाहे वह किसी भी दल की रही हो कश्मीर के विकास के लिए करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद विशेष पैकेज के रूप में प्रदान की है। उदाहरण के लिए पिछले कुछ दशकों में कश्मीर में बड़े पैमाने पर सड़क तथा रेल नेटवर्क का विस्तार किया गया है। जबकि उस क्षेत्र में रोड तथा रेल का विस्तार करना अत्यंत कठिन कार्य है और उसमें लागत भी बहुत अधिक आती है। (ज़ी न्यूज़, 2016)

भारत के 2014 तथा 2015 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पुरुष तथा स्त्रियों की राष्ट्रीय जीवन प्रत्याशा क्रमशः 63 तथा 67 वर्ष है। दूसरी ओर जम्मू तथा कश्मीर राज्य में पुरुषों तथा स्त्रियों की जीवन प्रत्याशा क्रमशाह 66 तथा 69 वर्ष है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। (ज़ी न्यूज़, 2016)

इसी प्रकार राज्य में शिक्षा का निरंतर विस्तार हो रहा है। 2001 से 2011 के बीच कश्मीर में शिक्षित व्यक्तियों की औसत संख्या 55.5 से बढ़कर 68 दशमलव 74% हो गई। सन 2013 14 तक कश्मीर में कुल महाविद्यालयों की संख्या 95 हो गई जिनमें 12 महिला कॉलेज शामिल है। राज्य में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो श्रीनगर तथा जम्मू में चल रहे हैं। इसी प्रकार राज्य में 5 अन्य विश्वविद्यालय चल रहे हैं जिनमें 2 राज्य स्तर के विश्वविद्यालय हैं दो सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं तथा एक निजी विश्वविद्यालय है। इन सभी विश्वविद्यालयों की कुल क्षमता 11400 छात्रों को लेने की है। (भारत सरकार, 2014)

कश्मीर भारत के सर्वाधिक संपन्न राज्यों में से एक है। पर्यटन यहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कश्मीर पूरे विश्व में अपने राज्य के टूरिस्ट स्थानों के लिए मशहूर है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सरकार ने अनेक नए दर्शनीय स्थलों को चिन्हित किया है और इस प्रकार अब 5 पारंपरिक दर्शनीय स्थलों को मिलाकर इस प्रकार के स्थलों की कुल संख्या 20 हो गई है। (भारत सरकार, 2014) (भारत सरकार, 2014)

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत में होता तो वहां के लोगों को भी वही सब सुविधाएं प्राप्त होती जो भारतीय कश्मीर के लोगों को मिल रही है।

भारत में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विलय में आने वाली संभावित व्यावहारिक समस्याएं

यद्यपि भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अपने दावे को पुरुष और रूप से विश्व स्तर पर रखा है और उसका कानूनी आधार भी बताया है परंतु पाकिस्तान तथा अन्य देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। भारत के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर दावे के मार्ग में कुछ मूल समस्याएं हैं।

कश्मीर के विषय में कुछ भी कहने से पूर्व हमें उस राजनैतिक परिदृश्य को समझना होगा जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में विद्यमान था। स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने भारत को 2 पृथक राज्यों में विभाजित कर दिया था यथा भारत तथा पाकिस्तान। इन दोनों राज्यों के अतिरिक्त उस समय 562 देशी रियासतें थी जो अंग्रेज सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं थी। उन्हें अंग्रेज सरकार ने इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत में आ जाएं चाहे पाकिस्तान में चली जाए अथवा स्वतंत्र रहें। ऐसी स्थिति में भारत तथा पाकिस्तान दोनों का यह प्रयास था कि अधिक से अधिक देसी रियासतों को अपने नियंत्रण में लाया जाए और उनका अपने राज्य में विलय किया जाए।

उदाहरण के लिए गुजरात में जूनागढ़ की रियासत एक ऐसा राज्य था जिसमें हिंदू बहुल जनसंख्या थी परंतु उसका शासक मुस्लिम नवाब था। उस शासक ने वास्तव में पाकिस्तान में विलय का निर्णय लिया था। परंतु तत्कालीन भारत सरकार ने जूनागढ़ को जाने वाले सारे मार्ग बंद कर दिए तथा रसद बाधित कर दी और मजबूर होकर जूनागढ़ को भारत में आना पड़ा। पाकिस्तान सरकार इस समय कश्मीर के मुद्दे में उलझी हुई थी और स्थिति का लाभ उठाते हुए सरदार पटेल ने भारतीय सेनाओं को जूनागढ़ भेजा और जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। इस प्रकार जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय नहीं हो पाया। ऐसा ही कुछ घटनाक्रम हैदराबाद राज्य के संदर्भ में भी हुआ। इस प्रकार तत्कालीन भारतीय सरकार ने

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

अनेक ऐसे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया जो हिंदू बहुलता वाले राज्य थे परंतु उनके शासक मुस्लिम थे। यह सभी राज्य भारत के क्षेत्र से गिरे हुए थे जिसका फायदा भारतीय सरकार ने उठाया। (सिंह, 2016)

अब अगर हम कश्मीर की स्थिति की बात करें तो वह बड़ी जटिल स्थिति थी। कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसकी जनसंख्या मुस्लिम बहुल थी परंतु शासक हिंदू था। वहां का शासक भारत तथा पाकिस्तान दोनों से शांति तथा यथास्थिति बनाए रखने का इच्छुक था। पाकिस्तान इसके लिए तैयार था पर भारतीय सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। भारत ने कश्मीर के सामने शर्त रखी कि शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का यह मानना था कि यदि शेख अब्दुल्लाह कश्मीर के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उस राज्य का भारत में विलय निश्चित है। इसका कारण यह था कि शेख अब्दुल्लाह पंडित नेहरू के नजदीकी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने कश्मीर में उसी प्रकार का आंदोलन चलाया था जैसा पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहा था। पंडित नेहरू इस बात को नहीं समझ पाए कि वास्तव में महाराजा हरी सिंह कश्मीर का भारत में विलय करना चाहते थे लेकिन इसके लिए वह कुछ समय चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यथास्थिति बनाए रखने की बात की थी। (सिंह, 2016)

दूसरी ओर पाकिस्तान धैर्य नहीं रख पाया और उसने 12000 कव्वालियों को कश्मीर में प्रवेश करा दिया। इसका परिणाम कश्मीर तथा भारत के बीच समझौते के रूप में हुआ जिसके अनुसार कश्मीर भारत का अंग बन गया। समझौते के पश्चात भारतीय सेना कव्वालियों को कश्मीर से खदेड़ने लगी। इसी बीच भारतीय सरकार कश्मीर मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंच गई और सुरक्षा परिषद ने तुरंत युद्ध विराम का आदेश दे दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय सेना कश्मीर के संपूर्ण क्षेत्र को विजय नहीं कर पाई। 1

यह बात उल्लेखनीय है कि यदि पंडित नेहरू इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ न जाते तो भारतीय सेना संपूर्ण कश्मीर पर कब्जा कर लेती और यह मुद्दा सदा के लिए सुलझ जाता।

कश्मीर का मुद्दा उस समय और अधिक जटिल बन गया जब 1963 में पाकिस्तान ने कश्मीर के सुदूर उत्तर भाग को चीन को उपहार के रूप में दे दिया।

कश्मीर के इतिहास के अतिरिक्त वर्तमान में कई अन्य समस्याएं हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अधिग्रहण में बाधक है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा गिलगित बालटिस्तान पूर्णता मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां से अल्पसंख्यक हिंदुओं को 1947 में ही बाहर निकाल दिया गया था। वस्तुतः समस्या धर्म नहीं है वरन् वह कट्टरपंथी विचारधारा है जिसका प्रचार प्रसार उस क्षेत्र में दशकों से किया जा रहा है। इस कारण से भारत को वहां के स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त होना मुश्किल है। उस क्षेत्र में पाकिस्तान की सरकार लगातार यह प्रचार कर रही है कि वह अपनी जगह पूरी तरीके से ठीक है और उसने अपने अधिकार वाले कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बना रखा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का शासन एक स्वायत्त विधायिका चला रही है। इस क्षेत्र में जो सरकार पाकिस्तान द्वारा स्थापित है उसका एक राष्ट्रपति तथा एक प्रधानमंत्री है। वहां पर एक सर्वोच्च न्यायालय तथा एक उच्च न्यायालय भी है। इस तरह पाकिस्तान यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि उसने अपने अधिकार वाले कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बना रखा है। (भूषण, 2016)

परंतु वास्तविक स्थिति इससे बहुत अलग है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वास्तव में पाकिस्तान की सरकार ही नियंत्रित करती है। पाकिस्तान सरकार के अंतर्गत आजाद कश्मीर मामलों का मंत्रालय वास्तव में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा पाकिस्तान सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय विधायिका में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा गिलगित बालटिस्तान का कोई प्रतिनिधि नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के अंतर्गत एक स्वायत्त और स्वशासी राज्य है। पाकिस्तानी संविधान के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर औपचारिक रूप से पाकिस्तान का अंग नहीं है क्योंकि यह विवादास्पद प्रदेश है। पाकिस्तान की सरकार इस क्षेत्र को स्वच्छ शासित प्रदेश की तरह चला रही है क्योंकि इसके भविष्य का निर्णय वह जनमत संग्रह करेगा जिसकी बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में की गई है। इस स्थिति के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने वे कदम नहीं उठाए जो इस क्षेत्र की स्वायत्तता को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अपनी पोस्टल स्टैंप जारी नहीं कर सकता। इस क्षेत्र के नागरिकों को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार यहां के लोगों पर सख्त नियंत्रण स्थापित किए हुए हैं। (Staff, 2017)

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अधिग्रहण में एक अन्य समस्या वहां की आर्थिक स्थिति भी हो सकती है। कश्मीर का उपजाऊ तथा बढ़िया क्षेत्र भारत में आता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसमें हम चीन को उपहार में दिया हुआ इलाका भी शामिल कर सकते हैं वास्तव में एक बंजर और दुर्गम क्षेत्र है जहां ऊंची पहाड़ियां तथा दुर्गम मार्ग है। इस प्रकार इस क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त करना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होगा। वस्तुतः इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व नगण्य है। परंतु दोनों देशों के लिए यह क्षेत्र उनकी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। (Staff, 2016)

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त 1970 तथा 80 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु क्षमता का विकास कर लिया है। यदि कश्मीर को लेकर भविष्य में कोई युद्ध होता है तो परमाणु अस्त्रों के इस्तेमाल के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार परमाणु अस्त्रों का खतरा भी कश्मीर मुद्दे के समाधान में एक बड़ी बाधा है। (विश्वनाथन, 2016)

परमाणु शस्त्रों के मुद्दे के अतिरिक्त अगर हम सैनिक दृष्टि से भी देखें तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका एक ऊंचाई वाला तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र को जीतना तथा कब्जे में बनाए रखना अत्यंत दूबर है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नक्शे को देखने से पता चलता है कि वह एक दुर्गम क्षेत्र है जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियों आती है। रणनीतिक दृष्टि से भारत से कश्मीर में पहुंचने का मार्ग अत्यंत सीमित है। दूसरी ओर पाकिस्तान के इलाके से कश्मीर के किसी भी इलाके में पहुंचना आसान है। इसी कारण की वजह से हम 1947 48 के युद्ध में इस क्षेत्र पर पूर्ण कब्जा नहीं कर पाए थे। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में भारत विरोधी भावनाओं को बहुत अधिक

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

भड़काया गया है। वहां की अधिकांश जनसंख्या पाकिस्तान समर्थक है। ऐसी स्थिति में यदि भारत इस क्षेत्र पर कब्जा कर भी लेता है तो लंबे समय तक उसे जारी रखना संभव नहीं है। यदि यह इलाका भारत में आ भी जाता है तो भी यहां के लोग भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन जाएंगे। (विश्वनाथन, 2016)

भारत द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अधिग्रहण में एक अन्य बड़ी समस्या चीन की उपस्थिति है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मित्र देश है तथा उसे बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई करता है। वर्तमान में चीन सरकार चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह तक china-pakistan इकोनामिक कॉरिडोर का निर्माण कर रही है। यह व्यापार मार्ग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है। इस व्यापार मार्ग के अतिरिक्त चीन की सरकार ने पाकिस्तान की अनेक परियोजनाओं में बड़े धन का निवेश कर रखा है। ऐसी स्थिति में यदि पाकिस्तान और भारत का युद्ध होता है तो चीन पाकिस्तान के समर्थन में आ खड़ा होगा। और भारत के लिए इन 2 परमाणु शक्तियों का अकेले मुकाबला करना काफी मुश्किल हो जाएगा। (Indian defence update, 2016)

उपरोक्त बाधाओं के अतिरिक्त कई अंतरराष्ट्रीय समझौते भी इस मामले में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। कश्मीर को लेकर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से बंधे हुए हैं जिसका हम खुले रुप से उल्लंघन नहीं कर सकते। कश्मीर में नियंत्रण रेखा को पार करना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा और भारत पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर युद्ध के समय ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो भारत मुश्किल में आ जाएगा क्योंकि अपनी आवश्यकता का अधिकांश कच्चा तेल तथा हथियार वह बाहरी विश्व से खरीदता है। दूसरी ओर यह पाकिस्तान की कूटनीतिक विजय होगी क्योंकि पाकिस्तान शुरू से इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीय करण करना चाहता है। (Saurabh, 2016)

इतना ही नहीं अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करना भारत के विकास मार्ग में एक बड़ी बाधा सिद्ध हो सकता है। आज भारत विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस समय भारत को अपने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम विश्व के विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के समझौते कर रहे हैं। इन समझौतों में ऊर्जा सुरक्षा हथियारों की खरीद-फरोख्त तथा नई प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए समझौते प्रमुख है। ऐसी स्थिति में अगर हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अधिग्रहण की बात करते हैं तो इन सब विकास कार्यक्रमों को बड़ा धक्का पहुंचेगा। युद्ध की वजह से हमारे सारे संसाधन रक्षा क्षेत्र में लगा दिए जाएंगे।।(सौरभ, 2016)

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अधिग्रहण का एक अन्य परिणाम यह भी होगा कि तब भारत की सीमा अफगानिस्तान के कई खतरनाक इलाकों से छू जाएगी जहां तालिबान जैसे विश्व के सर्वाधिक खतरनाक आतंकवादी संगठन सक्रिय है। एक दूसरे दृष्टिकोण से हम पूरे मुद्दे को देखें तो आज भारत सरकार कश्मीर पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 10% खर्च कर रही है जबकि कश्मीर की आबादी भारत की कुल जनसंख्या का 1% है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेने का अर्थ है इस खर्चे को और बढ़ाना और भारत के सीमित संसाधनों पर और दबाव डालना। (सौरभ, 2016)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक जिम्मेदार राष्ट्र की है। भारत ने परमाणु अस्त्रों का पहले इस्तेमाल न करने की शपथ ली है। भारत साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का घोर विरोधी रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक राष्ट्रों में एक रहा है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक है और आज भी उसका प्रमुख नेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित शांति कार्यक्रमों में भारत ने सबसे अधिक शांति सैनिकों को भेजा है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता का बड़ा दावेदार है। ऐसी स्थिति में भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते अथवा कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में नहीं है। अगर वह ऐसा कुछ करता है तो भविष्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन में उसकी उन्नति में यह बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होगी. (सौरभ, 2016)

परस्पर सहयोग द्वारा दक्षिण एशिया में विकास की संभावनाएं

दक्षिण एशिया तथा विश्व की सामरिक स्थिति के संदर्भ में हमें यह याद रखना होगा कि भारत तथा पाकिस्तान विश्व के दो निर्धन देश हैं परंतु दूसरी ओर से विश्व के 2 सबसे बड़े हथियारों के खरीदार भी है। यह स्थिति पारस्परिक अविश्वास के कारण उत्पन्न हुई है। पिछले 7 दशकों में दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति शत्रुता की नीति को अपनाया है। इसका मुख्य कारण दोनों देशों के नेताओं तथा दोनों देशों की जनता का संकीर्ण दृष्टिकोण है। आज के सामूहिक विनाश के हथियारों के युग के संदर्भ में यह ध्यान रखना होगा कि दुनिया के कोई भी दो देश सीधे युद्ध नहीं लड़ सकते क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। आज के युग में शत्रु देश को परेशान करने का एकमात्र तरीका अप्रत्यक्ष छद्म युद्ध तथा आतंकवाद है। इस तरह के छद्म युद्ध के लिए आज बहुत बड़े पैमाने पर धन खर्च किया जा रहा है और हथियार खरीदे जा रहे हैं। यदि भारत तथा पाकिस्तान जैसे देश अपने धन को हथियारों पर ना खर्च करके विकास कार्यों पर खर्च करते तो आज वह विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में खड़े होते।

यदि हम भारत तथा पाकिस्तान के पारस्परिक संबंधों को दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप के व्यापक संदर्भ में देखें तो हम पाते हैं कि सभी पारस्परिक विवादास्पद मुद्दे जिन में कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है को मित्रता पूर्ण ढंग से सुलझा लेना चाहिए। इसी में दोनों देशों की भलाई है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम मानव विकास के आधार पर देखें तो दक्षिण एशिया विश्व के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में आता है। इस क्षेत्र में मात्र 77% पुरुष तथा 62% महिलाएं ढंग से पढ़ लिख सकती है। इस क्षेत्र के लगभग 50% युवा बेरोजगार है। जेंडर इंडेक्स के आधार पर दक्षिण एशिया विश्व का तीसरा सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। भुखमरी के मामले में दक्षिण एशिया संसार में द्वितीय स्थान पर आता है। एक अध्ययन के अनुसार विश्व की 40% निर्धन जनसंख्या भारत में है जिसकी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय 1.25 डॉलर है। (त्रिपाठी, 2016)

ऐसी स्थिति में दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे इस क्षेत्र की निर्धनता तथा अन्य समस्याओं को हल किया जा सके। अब प्रश्न यह उठता है कि आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने के क्या उपाय है?

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

इसका सबसे पहला उपाय आर्थिक सहयोग है। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि दक्षिण एशिया दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हेनरी किसिंजर ने अपने एक लेख में उल्लेख किया है कि विश्व का शक्ति केंद्र प्रशांत महासागर के क्षेत्र से खिसक कर हिंदू महासागर के क्षेत्र में आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भविष्य के विश्व में शक्ति का केंद्र दक्षिण एशिया तथा चीन का क्षेत्र होगा। हमें इस स्वर्णिम अवसर को छोटे-मोटे विवादों में पढ़कर नहीं खोना चाहिए। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों से दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास की दर औसतन 6% प्रति वर्ष रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह विकास दर 2017 तक प्रतिवर्ष 7.6% हो जाएगी। परंतु दुख की बात यह है कि इतनी तेज आर्थिक वृद्धि दर दक्षिण एशिया के पारस्परिक व्यापार में प्रतिबिंबित नहीं होती। अर्थात इस क्षेत्र के आंतरिक व्यापार मैं अभी वृद्धि की बहुत अधिक संभावनाएं बाकी है। यद्यपि इस क्षेत्र के समस्त देशों ने आर्थिक उदारीकरण को अपना लिया है और अन्य देशों से व्यापार करने में वह बहुत इच्छुक हैं परंतु आपसी सहयोग के लिए रे लालायित नहीं है। दक्षिण एशिया विश्व का एक बहुत बड़ा बाजार है। यदि इस क्षेत्र के देश आपसी व्यापार को अधिक खुला बनाए तो इस क्षेत्र की संपूर्ण क्षमताओं का दोहन कर पाएंगे। (त्रिपाठी, 2016)

दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों की भविष्य की आर्थिक वृद्धि इस क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण पर निर्भर करती है। दक्षिण एशिया में आधारभूत ढांचे का विकास, वांछित ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय एकीकृत बाजार तथा वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए मानक स्थापित करना आपसी व्यापार तथा सहयोग को और बढ़ा सकते हैं। दूसरी ओर यदि इस क्षेत्र के देश कश्मीर तथा अन्य विवादास्पद मुद्दों में उलझे रहते हैं तो इससे पारस्परिक सहयोग की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी और क्षेत्रीय संतुलन गड़बड़ा जाएगा। यदि हम विवादास्पद मुद्दों को राजनैतिक रंग देते रहे तथा राजनैतिक लाभ के लिए उनको जारी रखते रहे तो यह मुद्दे कभी भी सुलझ नहीं पाएंगे। इन सभी मुद्दों का हमें मित्रता पूर्ण तथा सर्वमान्य हल ढूंढना होगा।(त्रिपाठी, 2016)

भारत ने इस क्षेत्र में पहल करते हुए अनेक सराहनीय कदम उठाए हैं। 2015 में भारत तथा बांग्लादेश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके अनुसार दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं में पढ़ने वाले उन क्षेत्रों के आदान-प्रदान के लिए तैयार हो गए जो उनके अधिकार में ना होकर दूसरे देश के अधिकार में थे। इस समझौते को हम exchange of enclaves का नाम देते हैं। इसी प्रकार भारत नेपाल बांग्लादेश तथा भूटान के बीच रिफंड राजमार्गों के निर्माण की बात चल रही है। इसी प्रकार का सहयोग भारत तथा पाकिस्तान के बीच भी हो सकता है यदि दोनों देश कश्मीर समस्या का सर्वमान्य समाधान ढूंढ ले।

भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी व्यापार की असीम संभावनाएं है। भारत ने पाकिस्तान को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अंतर्गत most favoured Nation का दर्जा दिया है जबकि पाकिस्तान ने अभी तक वह दर्जा भारत को नहीं दिया। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहती है तो आपसे विश्वास बढ़ेगा और जटिल से जटिल मुद्दा भी आसानी से सुलझ जाएगा।

इस क्षेत्र में शांति तथा सुव्यवस्था अनेक मार्गों को खोल सकती है जिसमें ऊर्जा सुरक्षा का बिंदु प्रमुख है। पिछले अनेक वर्षों से ईरान पाकिस्तान तथा भारत गैस पाइप लाइन पर बात चल रही है। यदि यह परियोजना कार्यान्वित होती है तो इससे तीनों देशों को भरपूर लाभ होगा। ईरान अपना तेल तथा गैस भारत को आसानी से भेज पाएगा जो वह अभी समुद्र मार्ग से भेजता है। दूसरी ओर भारत आसानी से और कम लागत में इंधन प्राप्त कर पाएगा जो उसकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान होगा। पाकिस्तान को इस परियोजना से न केवल ऊर्जा प्राप्त होगी बल्कि वाह इस pipeline पर शुल्क लगा सकेगा और लाभान्वित होगा। इसी प्रकार की एक अन्य योजना तापी योजना है जिसके द्वारा तुर्कमेनिस्तान की प्राकृतिक गैस को अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के रास्ते भारत लाया जाएगा। परंतु पारस्परिक अविश्वास तथा कश्मीर विवाद के कारण इन दोनों परियोजनाओं में कोई भी कार्य नहीं शुरू हो पाया है।

बड़े पैमाने पर आपसी जन सहयोग अर्थात विभिन्न देशों के लोगों का आपस में सहयोग इस क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ा सकते हैं। परंतु आपसी विश्वास के अभाव में इस क्षेत्र के देशों ने लोगों के आवागमन तथा मुद्रा के आदान-प्रदान पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे है जिससे पर्यटन का क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इन प्रतिबंधों की वजह से इस क्षेत्र में उन सड़क तथा रेलवे माध्यमों का विकास नहीं हो पाया जिन से आवागमन आसान हो जाता। भारत तथा पाकिस्तान के आपसी अविश्वास के कारण दोनों देशों के बीच लोगों तथा वस्तुओं का मुक्त आदान-प्रदान नहीं हो पाता। यदि पारस्परिक विश्वास हो और दोनों देशों के लोग बिना किसी बाधा के एक दूसरे के देश में जा सके तो इससे वे अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर एक दक्षिण एशियाई अस्मिता की धारणा का विकास करेंगे और क्षेत्रीय एकीकरण को मूर्त रूप प्रदान करेंगे। दूसरी ओर पर्यटन के बढ़ने से व्यापार भी पड़ेगा। (सेनगुप्ता, 2016)

विभिन्न देशों की जनता की पारस्परिक मित्रता इन देशों के राजनेताओं को आपसी सहयोग करने पर विवश कर देगी। प्राया ऐसा देखा गया है कि जब भारत तथा पाकिस्तान की जनता के बीच सीधा सहयोग होता है तो दोनों देशों में मित्रता तथा एकता दिखाई देती है। (सेनगुप्ता, 2017)

पारस्परिक सहयोग का एक अन्य क्षेत्र गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास तथा जैविक ईंधन पर निर्भरता को कम करने के क्षेत्र में हो सकता है। इस क्षेत्र में भारत तथा बांग्लादेश तथा भारत और नेपाल के बीच सराहनीय समझौते हुए हैं। हाल ही में भारत ने पूर्वी नेपाल में अरुण 3 नामक बांध परियोजना को बनाने का फैसला किया है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 960 मेगावाट है। इस परियोजना द्वारा किया गया विद्युत निर्माण दोनों देशों को लाभ पहुंचाएगा। अधिकांश बिजली भारत को मिलेगी और उसके बदले नेपाल को धन प्राप्त होगा। इसी प्रकार भारत ने त्रिपुरा ग्रिड से 600 megawatt बिजली बांग्लादेश को देने पर सहमति व्यक्त की है। (सेनगुप्ता, 2016)

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

इस प्रकार के सहयोग से न केवल बिजली की कमी को पूरा किया जा सकेगा बल्कि भविष्य में होने वाले औद्योगिकरण को भी बल प्राप्त होगा।

व्यापार को बढ़ाने के लिए यातायात की सुलभ व्यवस्था तथा सड़क द्वारा उन्हें जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय में पुराने रेशम के मार्ग को पुनर्जीवित करना उल्लेखनीय है जो दक्षिण एशियाई सहयोग के बिना असंभव सा लगता है। परंतु इस मामले में पाकिस्तान सहयोग करता नहीं दिखता। हाल ही में भारत सरकार की आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने कश्मीरी पृथक ता वादियों से वार्तालाप किया। इसी प्रकार जब भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं को पाकिस्तान के क्षेत्र द्वारा अफगानिस्तान में भेजने का प्रस्ताव किया तो पाकिस्तान सरकार ने उसमें भी अपनी असहमति जताई। स्पष्टता पाकिस्तान द्वारा इस प्रकार के कदम यातायात के विकास में बहुत बड़े बाधक है। (सेनगुप्ता, 2016)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि दोनों देश आपसी सहयोग करते हैं तो उपरोक्त संभावनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है जबकि सहयोग के अभाव में यह सब संभावनाएं धूमिल पड़ जाएंगे।

निष्कर्ष

इस बात में कोई संदेह नहीं कि आदर्श स्थिति यही होगी कि कश्मीर का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी शामिल है भारत में होना चाहिए। परंतु किसी भी आदर्श स्थिति को प्राप्त करना आसान नहीं है। वस्तुतः हमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता ओं के साथ ही जीना है। भारत तथा पाकिस्तान का आपसी सहयोग तथा विश्वास और कश्मीर में line of control को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानना ही एक व्यावहारिक और बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय होगा। दोनों देशों को एक दूसरे के कश्मीरी क्षेत्र पर दावा करना तथा अन्य तरीकों से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना छोड़ देना चाहिए। अगर दोनों देश शांति से रहते हैं तो व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, यातायात तथा संचार और अन्य क्षेत्रों में विकास की असीम संभावनाएं है। यदि इन संभावनाओं का लाभ उठाया जाता है तो दोनों देश संपन्न बन जाएंगे और 1 दिन विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे।

सन्दर्भ सूची

1. इंडियन डिफेन्स अपडेट, 2016, *"विद ओबीओआर, चाइना बिकम्स रियल थर्ड पार्टी इन कश्मीर"*, (http://defenceupdate.in), दिनांक 18 दिसंबर, 2017
2. इकनोमिक सर्वे 2014 - 2015 , *"ए जनरल रिव्यु ऑफ़ कश्मीर लाइफ"*, (http://www.kashmirlife.net), दिनांक 18 दिसंबर, 2017
3. ज़ी न्यूज़, 2016, *"मोदी इफ़ेक्ट: पाकिस्तान ऑक्युपाईड कश्मीर वांट्स टू बी ए पार्ट ऑफ़ इंडिया"*, (http://www.zeenews.india.com), दिनांक 18 दिसंबर, 2017
4. द हितावडा, 2016, *"पीओके बेलोंगस तो इंडिया: सुषमा"*, (http://www.thehitavada.com), दिनांक 18 दिसंबर, 2017
5. पोस्टोआस्त स्टाफ, 2016, *"21 लेस्सर नोन फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान ऑक्युपाईड कश्मीर एव्री इंडियन शुड नो"*, (http://postoast.com), दिनांक 18 दिसंबर, 2017
6. बसु, दुर्गा दास, 2001। *"इंट्रोडक्शन टू द कंस्टीटूशन ऑफ़ इंडिया"*, वधवा एंड कंपनी, लॉ पब्लिशर्स, नई दिल्ली
7. भूषण, भारत, 2016, *"व्हाट इस द रियल मीनिंग ऑफ़ पाकिस्तान ओक्युपाईड कश्मीर"*, (https://www.quora.com), दिनांक 18 दिसंबर, 2017
8. रिज़वान, फरीदा, 2016, *"17 लेस्सर नॉन फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स अबाउट पीओके"*, (http://www.topyaps.com), दिनांक 18 दिसंबर, 2017
9. विश्वनाथन, बालाजी. 2016, *"व्हाट इस मेन रीज़न इंडिया डस नॉट ट्राई टू एनेक्स द पार्ट ऑफ़ कश्मीर कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान"*, (https://www.quora.com), दिनांक 18 दिसंबर, 2017
10. सिंह, नवनीत, 2016, *"व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड पाकिस्तान ऑक्युपाईड कश्मीर"*, (https://www.quora.com), दिनांक 18 दिसंबर, 2017
11. सेनगुप्ता, जयश्री, 2016, *"सार्क एंड इट्स फ्यूचर"*, (http://www.jayshreesengupta.org), दिनांक 18 दिसंबर, 2017
12. सौरभ, *"व्हाई केन नॉट इंडिया ऑक्युपाइ पाकिस्तान ऑक्युपाईड कश्मीर"*, (http://www.quora.com), दिनांक 18 दिसम्बर, 2017
13. त्रिपाठी, धनञ्जय, 2016, *"ए रीजन ऑफ़ होप एंड डेस्पेयर"*, (http://southasiamonitor.org), दिनांक 18 दिसंबर, 2017

© RRIJM 2015, All Rights Reserved